



कार्यालय मुख्य अभियन्ता(प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
"जल भवन" जैकब रोड, 2-सिविल लाईन्स, जयपुर
दूरभाष (का.) 0141-2222241 (फैक्स) 0141-2222585

क्रमांक-एफ.11 (32)जनस्वा./का/भर्ती/2015-16/9403

दिनांक 7/12/16

संशोधित विज्ञप्ति

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 7672 दिनांक 11.11.2016 के क्रम में सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1053/2013 प्रदेश जनता जलयोजना श्रमिक यूनियन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2014 की अनुपालना में केवल प्रदेश जनता जलयोजना श्रमिक यूनियन के तत्समय सदस्यगण ही संबंधित वृत्त कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र होंगे। इन 2485 सदस्यों की सूची संबंधित वृत्त कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट www.rajwater.gov.in (अधिसूचनाए) पर उपलब्ध है, जिनके अतिरिक्त अन्य जनता जल योजना कर्मी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अन्य जनता जल कर्मियों को भ्रमित कर उन्हें जनता जलयोजना श्रमिक यूनियन में सदस्य के रूप में सम्मिलित कर, उन्हें उक्त विज्ञप्ति में आवेदन करने हेतु पात्र होने का प्रलोभन दिया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

अतः यह ज्ञात रहे कि वृत्त कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट www.rajwater.gov.in (अधिसूचनाए) पर उपलब्ध 2485 प्रदेश जनता जलयोजना श्रमिक जो वाद संख्यां 1053/2013 के पक्षकार थे, केवल वे ही उक्त विज्ञप्ति के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र हैं।

(आई.डी. खान)

(आई.डी. खान)

मुख्य अभियन्ता (प्रशासन),
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर